न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, (पोक्सो अधिनियम), नवादा।

(उपस्थित–विकास झा, विशेष न्यायाधीश)

जमानत आवेदन संख्या–1309/26

1.सोनु कुमार पिता संदीप भोक्ता .... आवेदक

बनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी

आवेदक की ओर से — श्री आनंद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से — श्री भोला पासवान, विशेष लोक अभियोजक

आदेश

08.07.26 1.काराधीन आवेदक अभियुक्त **सोनु कुमार** की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो धारा–137(2), 96, 352, 3(5) बी.एन.एस. के तहत सिरदला थाना काण्ड संख्या–122/26 के संबंध में दर्ज काण्ड की प्राथमिकी में दिनांक 12.05.2026 से काराधीन है। जमानत आवेदन पत्र की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को प्रदान की गयी है।

2.जमानत आवेदन की कंडिका–2 में यह अंकित किया गया है कि आवेदक ने कोई अन्य जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है।

3.जमानत आवेदन की कंडिका–3 के अनुसार आवेदक का पहले का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4.आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। जैसा कहा गया है वैसी कोई घटना कारित नहीं हुई है। काण्ड की प्राथमिकी दर्ज कराने में 22 दिन का विलम्ब किया गया है। प्राथमिकी की धाराएँ आवेदक के विरूद्ध आकर्षित नहीं हो रही है एवं उसे एक बनाबटी मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से काराधीन है। इन तथ्यों के आधार पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

8/7/26

5.राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक के इस जमानत की प्रार्थना का घोर विरोध किया गया।

6.अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 06.04.2026 को सूचक की पुत्री–(एक्स) उम्र 16 वर्ष कपड़ा लेने सिरदला बाजार गयी थी और वह घर नहीं लौटी। उसकी बेटी का मोबाईल नंबर–7667531488 बंद बताया। सूचक अपने परिवार के पास बेटी का खोजबीन किया तो दिनांक 10.04.2026 को उसकी बेटी घर पर फोन की रोते–रोते बोली कि उसे आवेदक सोनु कुमार जबरन उठा कर ले आया है और इस वक्त वह कहाँ है उसे पता नहीं चल रहा है। सूचक आवेदक सोनु कुमार के घर गया और उसके पिता और माता से पूछा कि उसका बेटा कहाँ है इस पर दोनों गाली गलौज करने लगे और घर से भगा दिए। सूचक का आगे कहना है कि सोनु कुमार का मोबाईल नंबर–779539428 एवं 8102613028 पता चला किन्तु फोन बंद था। बेटी

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, (पोक्सो अधिनियम), नवादा।

जमानत आवेदन संख्या–1309/26

लगातार

08.07.26 का कहीं पता नहीं चला तब दिनांक 28.04.2026 को थाना में आवेदन दिया।

7.उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि काण्ड दैनिकी की कंडिका–2, 9, 10, में सूचक एवं अन्य साक्षियों का बयान अंकित किया गया है जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी.एन.एस.एस. में भी कहा है कि अभियुक्त सोनु कुमार उसे जबरदस्ती अहमदाबाद ले कर चला गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। काण्ड दैनिकी की कंडिका–11 में पीड़िता का जन्म तिथि 18.05.2010 अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि पीड़िता का उम्र घटना की तिथि को 15 वर्ष 11 महीना 10 दिन होता है। आवेदक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त है तथा उस पर नाबालिग पीड़िता को जबरदस्ती अहमदबाद ले जाने का और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रत्यक्ष आरोप है। काण्ड का अनुसंधान जारी है।

8.अतः उभपक्ष के तर्कों, ऊपर में वर्णित परिस्थितियों, पीड़िता का धारा–183 बी.एन.एस.एस. का बयान तथा मामले के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद, वर्तमान स्थिति में आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9.तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **सोनु कुमार** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को एतद्द्वारा **अस्वीकृत** एवं निष्पादित किया जाता है।

(लेखापित)

8/7/26

(विकास झा)

विशेष न्या. पोक्सो अधि.